RCMS – SDAOff25078288

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चाण्डिल।

अनुसूची फार्म सं0–662

(देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश फलक

जिला– सरायकेला–खरसावाँ   अनुमण्डल– चाण्डिल   अंचल– चाण्डिल

केस का प्रकार– जमावंदी दर्ज करने के संबंध में।

अभिलेख सं0– 03/25–26

आदेश की कम संख्या और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
02.05.2025	अभिलेख का संधारण राजस्व उप निरीक्षक श्री सुरेश सिंह मुण्डा एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक श्री मनोज कुमार महतो के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक जम्बु मार्डी के द्वारा परिशोधन पोर्टल में शिकायत सं0– PRI240602033173627202532873517363, दिनांक– 28.03.2025 के द्वारा मौजा– डोबो खाता सं0– 21, प्लॉट सं0– 896 अन्तर्गत भूमि कम्प्यूटराईजेशन के दौरान निम्न आवेदित भूमि का छुटे हुए जमाबंदी की ऑनलाईन प्रविष्टि हेतु समर्पित आवेदन के आलोक में जाँच किया गया। जाँचोपरान्त प्रतिवेदित भूमि की विवरणी निम्नवत है :–	

क0	मौजा/थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा (ए0 में)	पंजी II रैयत का नाम
1	2	3	4	5	6
1	डोबो/331	21	896	0.64	कान्दु मांझी, पिता– फागु मांझी

उक्त भूमि का जमाबंदी पंजी II में संधारित नहीं पाया गया। आवेदित भूमि हाले सर्वे 1964 खतियान में कान्दु मांझी, पिता– फागु मांझी, जाति संथाल, निवासी– निज ग्राम के नाम पर दर्ज है एवं वर्ष 2009–10 तक लगान रसीद अद्यतन है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन, खतियान की प्रति, लगान रसीद की प्रति अभिलेख के साथ संलग्न है। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा ऑनलाईन पंजी II में दर्ज करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त भूमि का ऑनलाईन पंजी II में दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है।

अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

लेखापित

(हस्ताक्षर) 02.05.25

अंचल अधिकारी
चाण्डिल।

(हस्ताक्षर) 02.05.25

अंचल अधिकारी,
चाण्डिल।

Digitally signed by AMIT KUMAR SRIVASTWA
Date: 2025.05.03 13:20:31 +05:30
Location: 192.168.175.104